न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 105/2021

उम्मेदाराम पुत्र गणपतराम जाति विश्नोई
निवासी उदयनग सदरी, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार देचू, जिला जोधपुर
2. पपु पुत्री गणपतराम पत्नी अशोक जाति विश्नोई
   निवासी उदयनगर सदरी हाल निवासी ग्राम खेतोलाई
   तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार देचू दिनांक 11 फरवरी 2021 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 01/2021 उम्मेदाराम बनाम सरकार

उपस्थित–
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
रेस्पो. संख्या एक की ओर से राजकीय अधिवक्ता
रेस्पो. संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई

नि र्ण य

दिनांक : 12 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार देचू द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 01/2021 उम्मेदाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 11 फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा संख्या 263 रकबा 108 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम राणासर बाबत वसीयत के आधार पर म्युटेशन की कार्यवाही हेतु एक प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश अस्वीकार कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट के पिता गणपतराम विश्नोई की स्वार्जित कयसुदा भूमि थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 11 अगस्त 2020 को वसीयत निष्पादित की गयी। दिांक 13 अक्तूबर 2020 को अपीलाण्ट के पिता गणपतराम का देहन्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत प्रभाव में आ जाने के कारण वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत अपंजीबद्ध होने के आधार पर स्वीकार नहीं की गयी जबकि कानूनन वसीयत पंजीबद्ध होना अनिवार्य नही है। म्युटेशन की कार्यवाही मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है, जिसके आधार पर खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में म्युटेशन हेतु अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मात्र वसीयत पंजीबद्ध नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाबत में राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता–रेस्पो.संख्या दो ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट जिस तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी बाबत अपने पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत करवाना चाहता है, वह तथाकथित वसीयतनामा विधिवत पंजीबद्ध नहीं है और विचारण न्यायालय में समुचित साक्ष्य के आधार पर उसे सिद्ध नहीं किया गया है। रेस्पो. संख्या दो गणपतराम की पुत्री है और उत्तराधिकार के आधार पर वादग्रस्त आराजी में उसका भी हक–हिस्सा निहित है। अपीलाण्ट द्वारा विचारण न्यायालय में गणपतराम के अन्य वारिसान को पक्षकार संयोजित किये बिना ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि रेस्पो. संख्या दो गणपतराम की पुत्री है और उत्तराधिकार के आधार पर वादग्रस्त आराजी में उसका भी हक–हिस्सा निहित है। अपीलाण्ट द्वारा विचारण न्यायालय में गणपतराम के अन्य वारिसान को पक्षकार संयोजित किये बिना ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो सही नहीं है। इसके अलावा अपीलाण्ट जिस तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी बाबत अपने पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत करवाना चाहता है, वह विधिवत पंजीबद्ध नहीं है और विचारण न्यायालय में समुचित साक्ष्य के आधार पर उसे सिद्ध नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित

अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई आधार एवं आवश्यकता नजर नहीं आती है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 फरवरी 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर